

समाहरणालय, जहानाबाद

(जिला शस्त्र शाखा)

आदेश

श्री शरजील ईमाम, पिता--स्व० अकबर ईमाम ग्राम+पो०+थाना--काको, जिला--जहानाबाद द्वारा सूचित किया है कि उनके पिता स्व० अकबर ईमाम पिता स्व० हसन ईमाम की मृत्यु दिनांक 06.11.14 को हो गयी है। पिता के नाम पर निर्गत अनुज्ञप्ति संख्या-15/1983 काको थाना मूल में समर्पित करते हुये इस पर धारित डी०बी०बी०एल० बन्दूक संख्या 6746 B/7 P85 को मेसर्स जहानाबाद गन हाउस में जमा करने का अनुरोध किया गया है।

अतः शरजील ईमाम के आवेदन के आलोक में स्व० अकबर ईमाम, पिता स्व० हसन ईमाम, ग्राम+पो०+थाना--काको जिला जहानाबाद के नाम निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या 15/1983 थाना काको जहानाबाद को शस्त्र अधिनियम की धारा 17(3) के तहत रद्द करते हुये उस पर धारित डी०बी०बी०एल० सं०-6746 B/7 P85 को शस्त्र अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत मेसर्स जहानाबाद गन हाउस में जमा करने का स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी का आदेश दिनांक 14.11.2014 संचिका सं० III-1/2012-14)

हो

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी
जहानाबाद।

ज्ञापांक: 325 / शस्त्र दिनांक: 17/11/2014

- प्रतिलिपि:- सभी जिला दण्डाधिकारी/पुलिस अधीक्षक बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- थानाध्यक्ष, काको को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अगर एक सप्ताह के अन्दर शस्त्र जहानाबाद गन हाउस में जमा नहीं किया जाता है तो उसे जप्त कर मालखाना में रखना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि:- श्री शरजील ईमाम पिता--स्व० अकबर ईमाम, ग्राम+पो०+थाना--काको को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि शस्त्र पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा कर जमा रसीद की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि:- मेसर्स जहानाबाद गन हाउस को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि शस्त्र प्राप्ति की सूचना शीघ्र संसूचित करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि:- सूचना तकनीकी प्रबंधक को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि जहानाबाद के Website पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

17/11/14
जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
जहानाबाद।